

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 105/2025 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

1. कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री रतिराम जाति जाट निवासी चान्देड़ी छोटी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।
2. सरजीत पुत्र पुत्र श्री रतिराम जाति जाट निवासी चान्देड़ी छोटी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।
3. विनोद कुमार पुत्र पुत्र श्री रतिराम जाति जाट निवासी चान्देड़ी छोटी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।

- वादीगण

बनाम

1. रतिराम पुत्र श्री खेताराम जाति जाट निवासी चान्देड़ी छोटी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।
2. राजस्थान राज्य मार्फत तहसीलदार(राजस्व) पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील-वादीगण  
श्री रामनिवास गोदारा वकील प्रतिवादी सं. 1  
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 26/3/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादीगण को ब हिस्सा बराबर तहसील पल्लू की रोही मौजा चान्देड़ी छोटी के खाता संख्या 158/151 के खसरा नम्बर 96 की 6.0700 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि,
2. प्रतिवादी संख्या 1 रतीराम को तहसील पल्लू की रोही मौजा चान्देड़ी छोटी के खाता संख्या 158/151 के खसरा नम्बर 321/76 की 1.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 की 5.0580 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 6.8280 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/3/2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर